कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड।
85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, फोन न0 01352740926
Email:pccfvanpanchayat@gmail.com

पत्रांक-ज-182/ 18-1 दिनांक 10-8-2021

कार्यालय आदेश

वन विभाग में वार्षिक कार्यालय निरीक्षण के समय वन पंचायत के कार्यो की समीक्षा किये जाने हेतु प्रभागीय कार्यालय व रेंज कार्यालय में आवश्यक पंजीका का अभाव है, इसके कारण कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण के समय वन पंचायत से संबंधित विषयों की समीक्षा नहीं हो पाती है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि प्रभागीय कार्यालय व रेंज कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण के दौरान वन पंचायत से संबंधित कार्यो की समीक्षा हेतु एक निर्धारित **"वन पंचायत पंजिका"** तैयार कर वन पंचायत से संबंधित आवश्यक सूचनायें संधारित की जाय। इसे कार्यालय निरीक्षण हेतु सूचिबद्ध बिन्दुओं में एक अतिरिक्त बिन्दु के रूप में जोड़ा जाय।

वन पंचायत पंजीका में संधारित किये जाने वाले आवश्यक बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुये प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड़ द्वारा आदेश जारी किया जा रहा हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक,(HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-ज-182/18-1 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत व वन्यजीव उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, कुमांऊ, वन पंचायत व वन्यजीव, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. कार्यालय पत्रावली।

प्रमुख वन संरक्षक,(HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून।